# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 2772/2024**

तारा चंद गोठवाल

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, फूड एवं सिविल सप्लाई विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, फूड एवं सिविल सल्पलाई विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. उपायुक्त एवं सयुंक्त सचिव, फूड एवं सिविल सप्लाई विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, ज्योति नगर, जयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 24.09.2024
**आदेश की दिनांक** : 05.09.2024

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री संजय गुर्जर, अभिभाषक

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को प्रारंभ में प्रत्यर्थी विभाग में नियुक्त किया गया था और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद अपीलार्थी दिनांक 30.6.2017 को जिला करौली से जिला आपूर्ति अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो गया है, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को एक वर्ष की पूर्ण सेवा पूरी करने के बावजूद काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया है। (अनुलग्नक–1) निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 ने अपीलार्थी का पीपीओ भी जारी किया है। (अनुलग्नक–2) छठे वेतन आयोग के बाद, राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियमों में संशोधन करके सभी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई तय की थी और उक्त संशोधन के मद्देनजर अपीलार्थी ने अंतिम वेतन वृद्धि से इनकार कर दिया था, हालांकि उसने 1 जुलाई से 30 जून तक यानी सेवानिवृत्ति के दिन तक सेवा में एक वर्ष पूरा कर लिया था। इसी

तरह के विवाद का निर्णय माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पी.अन्नमपेरुमल बनाम रजिस्ट्रार, कैट एवं अन्य के मामले में दिनांक 15.9.2017 को अपील संख्या 15732/2017 के आधार पर किया जा चुका है, जिसके तहत माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिका को इस निर्देश के साथ स्वीकार किया था कि अपीलार्थी को दिनांक 1.7.2012 से 2017 तक की अवधि के लिए एक काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। चूंकि उन्होंने सेवा का एक पूर्ण वर्ष पूरा कर लिया है, हालांकि पेंशन लाभ के उद्देश्य से उनकी वेतन वृद्धि 1.7.2013 को हुई थी और उक्त निर्णय के खिलाफ एसएलपी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 23.7.2020 को खारिज कर दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में भी इसी तरह के विवाद का फैसला किया है। एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 21/2020 दिनांक 21.7.2023 को तय किया गया और माना गया कि अपीलार्थी 1 जुलाई को उनके आचरण के कारण अपेक्षित अवधि यानी एक वर्ष के लिए देय वेतन वृद्धि का लाभ पाने के हकदार होंगे। उपरोक्त निर्णय के आलोक में हाल ही में माननीय न्यायाधिकरण ने भी रामकेश मीना बनाम राज्य एवं अन्य (अपील संख्या 1997/2024) और अन्य संबद्ध अपीलों के मामले में दिनांक 12.6.2024 के आदेश द्वारा समान विवाद का निर्णय दिया है। अपीलार्थी ने अपनी सेवानिवृत्ति वर्ष की पहली जुलाई को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देने के लिए लगातार प्रत्यर्थी विभाग से संपर्क किया है, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने अभी तक उसे अपनी सेवानिवृत्ति वर्ष की पहली जुलाई को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया है, जबकि उसकी सेवानिवृत्ति के दिन उसने पूरा एक वर्ष पूरा कर लिया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 45 के अंतर्गत पेंशन लाभ की गणना के प्रयोजनार्थ उसकी सेवा के अंतिम वर्ष अर्थात दिनांक 1.7.2016 से 30.6.2017 तक की सेवा के लिए देय काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान की जावे तथा सेवानिवृत्ति लाभ को संशोधित किया जाए और उसका बकाया का भुगतान 18 प्रतिशत ब्याज सहित किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को

यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**